राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 1(2) ग्रा.वि./नरेगा/मा.द./पार्ट–2/2010–11 जयपुर, दिनांक - 7 FEB 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉब कार्ड जारी करने/नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र एल 12053/04/2012–एमजीनरेगा–1 (एफटीएस 21046) दिनांक 18.07.2012 एवं इस विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा यह सूचित किया गया था, कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पूर्व में जॉबकार्ड 5 वर्ष के लिए बनाकर जारी किये गये है, उनका उपयोग तब तक किया जाये जब तक की वे जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में होकर उनका उपयोग किया जाना संभव नही हो। पूर्व में जारी किये जॉबकार्ड में रोजगार की मांग, विवरण, प्रदत्त रोजगार एवं भुगतान विवरण के परिशिष्ट जोडे जाकर उपयोग किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत नये जॉबकार्ड जब ही बनाये जाये जबकि पुराने जॉबकार्ड का उपयोग संभव नहीं हो। नये जॉबकार्ड बनाने पर होने वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत प्रशासनिक मद से किया जा सकता है।

भवदीय

(खजान सिंह)
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रांवली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस